जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर

समस्तीपुर जिलान्तर्गत सदर अस्पताल, रेफरल अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रों अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्रों, स्वास्थ्य उपकेन्द्र में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत (1) अस्पताल के आंतरिक परिसर की साफ–सफाई एवं रखरखाव (2) अस्पताल के बाहरी परिसर की साफ–सफाई एवं रखरखाव तथा बागवानी (3) कपड़ों की धुलाई (4) अन्तःवासी मरीजों हेतु भोजन की आपूर्ति (5) साईलेंट जेनरेटर द्वारा वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति हेतु प्रतिशिठत कम्पनियों/फर्मो/गैर सरकारी संस्थानों/संवेदकों/व्यक्तियों से दो लिफाफा प्रणाली के अन्तर्गत स्पश्ट अंकित तथा मुहरबंद निविदाऐं आमंत्रित की जाती है।

तकनीकी निविदा हेतु निम्न विवरण के अनुरूप योग्यताऐं वांछित हैं तथा निविदादाता को निम्न दस्तावेज/ड्राफ्ट इत्यादि निम्न विहित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्ण समर्पित करना होगा :

1. आयकर स्थाई लेखा संख्या (पेन नम्बर)।
2. विगत तीन कर निर्धारण वर्षो का आयकर रिटर्न (कर निर्धारण वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15)।
3. विगत तीन कर निर्धारण वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन (कर निर्धारण वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15)।
4. सेवाकर अन्तर्गत निबंधित होने का प्रमाण–पत्र के साथ–साथ विगत तीन वर्षवार चलान के साथ वर्ष के रिटर्न की छायाप्रति स्व अभिप्रमाणित संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदा दाता का ठेका मजदूर अधिनियम, 1970 एवं ESI का निबंधन होना चाहिए। दोनो का निबंधन प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनवार्य होगा। ठेका मजदूर अधिनियम, 1970 के निबंधन का सत्यापन हेतु विगत 3 वर्ष पूर्व निबंधन और कम से कम 100 कर्मियों का ESI एवं EPF मद में जमा किया गया एक वर्ष का चलान की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता का अद्यतन खाद्य अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र एवं निबंधन प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
7. फर्म को सरकारी संस्थानों मे समान प्रकृति के उपरोक्त उल्लेखित पाँचों कार्यो का आऊटसोर्सिंग के अन्तर्गत सरकारी विभाग से 4 वर्षो का अनुभव (वित्तीय वर्ष 2015–16 को सम्मिलित कर) संवेदक के रूप में होना चाहिए, संबंधित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्ण करना आवश्यक है।
8. कम से कम 100 श्रमिकों हेतु अद्यतन श्रमिक अनुज्ञप्ति।
9. फर्म को विगत तीन वर्षो में किसी सरकारी विभाग से समान प्रकृति के कार्य से औसत 1 करोड़ रूपये की वार्षिक प्राप्तियॉ होनी चाहिए, एवं उसका प्रमाण पत्र संलग्ण करना अनिवार्य होगा।
10. फर्म को उनके बैंक द्वारा निर्गत कम से कम 1,00,00,000/– (एक करोड़) रूपये का Solvency Certificate संलग्ण करना अनिवार्य होगा।
11. अग्रधन के रूप में कुल 5,00,000 (1,00,000 रूपये प्रति सेवा की दर से पॉच सेवाओं के लिए) का डिमाण्ड ड्राफ्ट देना होगा जो कि जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर के पक्ष में भुगतेय हो। इस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।
12. निविदाताओं का विगत तीन लगतातार वर्षो का औसत टर्न ओवर एक–एक करोड़ रूपया प्रति वर्ष होना चाहिए। तीन वर्षों का लेखा अंकेक्षण संलग्न करना होगा।
13. निविदा दाता को काली सुची में नाम दर्ज नही है का नॉटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र का मूल प्रति संलग्न करना होगा तथा न्यायालय द्वारा फौजदारी–मुकदमा में सजा नही की गई है इसका शपथ पत्र भी मूल रूप में समर्पित करना होगा।
14. वाणिज्य कर (VAT) निबंधन एवं तीन वर्षो का रिर्टन की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
15. निविदादाता द्वारा किये जाने वाले कारोबार व्यवसाय (जेनरेटर सेवा) का रजिस्ट्रेशन बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 के अधिन होना अनिवार्य है।
16. निविदादाता को आवासीय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

तकनीकी निविदा हेतु विहित प्रपत्र संलग्न है।

वित्तीय निविदा :
निविदादाता को वित्तीय निविदा के लिये अपना प्रस्तावित दर निम्न प्रारूप में समर्पित करना होगा।

निविदादाता का नाम एवं पता	
1) अस्पताल के आंतरिक परिसर की साफ–सफाई एवं रख–रखाव हेतु प्रस्तावित दर	
	प्रतिमाह (₹)
सदर अस्पताल	
अनुमंडलीय अस्पताल	
रेफरल अस्पताल	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	
अति०प्रा०स्वा० केन्द्र	
स्वा० उपकेन्द्र	
2) अस्पताल के बाहरी परिसर की साफ–सफाई एवं रखरखाव तथा बागवानी हेतु प्रस्तावित दर	
	प्रतिमाह एकमुस्त (₹)
सदर अस्पताल	
अनुमंडलीय अस्पताल	
रेफरल अस्पताल	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	
अति०प्रा०स्वा० केन्द्र	
स्वा० उपकेन्द्र	
3) कपड़ों की धुलाई हेतु प्रस्तावित दर	
	प्रतिमाह एकमुस्त (₹)
सदर अस्पताल	
अनुमंडलीय अस्पताल	
रेफरल अस्पताल	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	
अति०प्रा०स्वा० केन्द्र	
स्वा० उपकेन्द्र	
4) भोजन की आपूर्ति हेतु प्रस्तावित दर	
अन्तःवासी रोगीयों हेतु भोजन	
सभी प्रकार के खान पान के लिए अधिकतम दर प्रति मरीज प्रति दिन रूपये 100/– बिहार सरकार सकल्प संख्या 648 दिनांक 07.09.2015 द्वारा दर निर्धारित है।	
5) **साईलेंट जेनरेटर द्वारा अनवरत वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति हेतु प्रस्तावित दर (प्रति माह एकमुस्त की दर से) निविदादाता निविदा डालने से पूर्व सभी स्वास्थ्य संस्थानों का अपने से भ्रमण कर कितने घंटे विद्युत आपूर्ति सही वोलटेज में उपलब्ध रहती है, पूर्व जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् ही निविदा में अपना दर देंगें।**	
जेनरेटर क्षमता	जेनरेटर भाड़ा (चालक, मोबिल, ईधन एवं रख–रखाव सहित) प्रतिमाह एकमुस्त
10 KVA	
15 KVA	
25 KVA	
50 KVA	
80 KVA	
100 KVA	

कार्यों का विस्तृत विवरण

क. अस्पताल के आंतरिक परिसर की साफ–सफाई

क. उपरोक्त उल्लेखित स्वास्थ्य इकाईयों की सफाई कार्य में सभी कमरे, वार्ड, बरामदा, शौचालय, दीवार के किनारे लगे टाइल्स, छत, सभी फर्नीचर एवं उपकरण, लाइट, पंखे, खिड़कियों के किनारे लगे ग्रिल, दरवाजे के बाहर एवं अंदर का भाग, सीढियाँ, छत, रेम्प इत्यादि भाामिल है। सभी चिकित्सकीय उपकरणों को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/उपाधीक्षक की अनुमति प्राप्त कर उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष गुणवत्ता पूर्ण रसायनों का प्रयेाग कर साफ–सफाई का कार्य किया जाना।

अस्पताल के अतःभाग के साफ–सफाई के लिए प्रतिदिन प्रति इकाईवार श्रमिकों का विस्तृत विवरण

क्र०सं०	**संस्थान का प्रकार**	**स्थान**	**प्रति पाली श्रमिकों की संख्या**	**पाली की संख्या (24 घंटे के लिए)**	**प्रतिदिन कुल श्रमिकों की संख्या**
1	**सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल**	प्रसूति वार्ड एवं शौचालय	4 (Male-2, Female-2)	3	12
		महिला सर्जिकल वार्ड एवं शौचालय	1	3	3
		बच्चा वार्ड, आई.सी.यू एवं शिशु वार्ड	2	3	6
		बर्न वार्ड	------	------	------
		स्त्री रोग विभाग	2 (Male-1, Female-1)	3	6
		हड्डी रोग वार्ड	------	------	------
		पुरूष सर्जिकल वार्ड, कान, नाक, गला एवं कैदी वार्ड	1	3	3
		पेंईंग वार्ड	------	------	------
		आकस्मिक कक्ष (01 सफाई कर्मी एवं 01 ट्राली मैन)	2	3	6
		प्रसूति कक्ष	Female-2	3	6
		ओ०टी०	1	2	2
		पंजीकरण एवं दवा वितरण कक्ष एवं ओ०पी०डी०	2	2	4
		सदर अस्पताल के बाहरी परिसर की सफाई	2	2	4
		एस.एन.सी.यू.	2 (Male-1, Female-1)	2	4
		जेनरल वार्ड, बरामदा एवं शौचालय	2	2	4

प्रतिदिन कुल श्रमिकों की संख्या			**23**		**60**
2	**रेफरल अस्पताल**	प्रसव कक्ष, प्रसव वार्ड एवं बरामदा	2 (Female)	3	6
		ओ०टी०, आपातकालीन कक्ष एवं बरामदा	1	3	3
		जेनरल वार्ड, बरामदा एवं शौचालय एवं आंतरिक पसिर	2	3	6
		ओ०पी०डी० एवं अन्य सफाई	1	2	2
		आकस्मिक कक्ष (01 सफाई कर्मी एवं 01 ट्राली मैन)	2	3	6
प्रतिदिन कुल श्रमिकों की संख्या			**7**		**20**
3	**प्रा०स्वा०केन्द्र / सामुदायिक स्वा० केन्द्र**	प्रसव कक्ष	Female-2	3 (Female)	6
		प्रसव वार्ड	2 (Male-1, Female-1)	3 (Female)	6
		ओ०टी०ए जेनरल वार्ड, बरामदा, शौचालय एवं आंतरिक परिसर	2 (Male-1, Female-1)	3	6
		ओ०पी०डी० एवं अन्य सफाई	1	2	2
प्रतिदिन कुल श्रमिकों की संख्या			**7**		**20**
	अति० प्रा०स्वा०केन्द्र / स्वा० उपकेन्द्र	प्रसव कक्ष	Female-1	3	3
		प्रसव वार्ड	1	3	3
		जेनरल वार्ड, बरामदा, शौचालय एवं आंतरिक परिसर ओ०पी०डी० एवं अन्य सफाई	1	3	3
प्रतिदिन कुल श्रमिकों की संख्या			**3**		**9**

स्वास्थ्य केन्द्रों की साफ–साफई हेतु भुगतान फर्श के क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा।

ख. जिन स्वास्थ्य केन्द्रों में ओ0टी0, स्नानघर, पैथोलॉजी, एक्स–रे रूम, सी0टी0 स्कैन रूम, स्टोर रूम, जंक रूम एवं पोस्ट मार्टम घर की सुविधा है, उन सभी जगहों की सफाई अनवरत करना होगा। अस्पताल कर्मियो के आवासीय क्वॉटर में किसी भी परिस्थिति में सफाई नहीं की जायेगी।

ग. प्रत्येक ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन थियेटर के समानों का डिस्पोजल निर्धारित स्थान पर करना होगा।

घ. मरीजों को ट्राली से पहुँचाना, बेड पेन एवं यूरेनल लगाना तथा पोस्ट मार्टम के पूर्व मृत भारीर को पोस्ट मार्टम घर में पहुँचाना तथा पोस्ट मार्टम के बाद मृत भारीर परिजनों को सौंपना।

ड. मरीजों के मल मूत्र, अवशिष्ट पदार्थों, रक्त की सफाई एवं गंदे कपड़ों को जमा कर निर्धारित स्थान पर पहुँचाना तथा बायोडिग्रेबल अवशिष्ट या नॉन–बायोडिग्रेबल अवशिष्ट को अलग–अलग रंग के डस्ट–बिन में संग्रह कर डिस्पोज करना होगा।

च. आंतरिक परिसर सफाई हेतु सिर्फ आधुनिक मशीन (भेक्यूम क्लीनर, स्क्रवर ड्रॉयर वाटर प्रेशर मशीन तथा इलेक्ट्रीक मॉप इत्यादि) का इस्तेमाल करना होगा।

छ. सफाई कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे फ्लोर क्लीनर, फिनाईल, ग्लास क्लीनर, मॉस्कीटो, कॉकरोच स्प्रे, शौचालय में नेफ्थलीन की गोली, भौचालय मे बाल्टी एवं मग तथा प्रत्येक कमरे में रूम फ्रेशनर इत्यादि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना होगा।

सफाई हेतु प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों को निम्न विवरण के अनुरूप संवेदक को उपलब्ध कराना होगा, जिस हेतु प्रति वर्गमीटर प्रतिदिन क्षेत्रफल हेतु देय दर के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नहीं होगी–

क्र0 सं0	क्षेत्र	डिसइन्फेक्टेन्ट	आवधिकता
1	बाथरूम फर्श	डोमक्स/लाइजोल	प्रतिदिन सफाई हेतु निर्धारित समय पर
2	बाह्य, बरामदा पैथोलॉजी तथा रेडियोलॉजी का फर्श	वेसिलोएसिड	प्रतिदिन सफाई हेतु निर्धारित समय पर
3	लेबर रूम/ओ0पी0डी0	वेसिलोएसिड	प्रतिदिन सफाई हेतु निर्धारित समय पर
4	ऑपरेशन थियेटर	वेसिलोएसिड	प्रतिदिन सफाई हेतु निर्धारित समय पर
5	मुख्य प्रवेश द्वार	वेसिलोएसिड	प्रतिदिन सफाई हेतु निर्धारित समय पर
6	वास वेसिन, ट्वायलेट पेन एवं अन्य सेनिटरीवेयर	हारपिक/ओडानिल	प्रतिदिन सफाई हेतु निर्धारित समय पर
7	खिडकी/कॉंच के फ्रेम	कॉलीन	प्रतिदिन सफाई हेतु निर्धारित समय पर
8	यूरिनल	नैथ्थलीन वॉल तथा हारपीक	प्रतिदिन सफाई हेतु निर्धारित समय पर
9	ऑपरेशन थियेटर	फॉरमलडिहाइड (मैथेनॉल) से फ्यूमिगेशन	सप्ताहिक
10	लेबर रूम	फॉरमलडिहाइड (मैथेनॉल) सेफ्यूमिगेशन	सप्ताहिक

संवेदक को सफाई हेतु प्रयुक्त होन वाले सामग्री/रसायन/उपकरण उपलब्ध कराना है।

ज. संवेदक द्वारा चिकित्सा संस्थान के आंतरिक परिसर में जगह–जगह पर डस्ट–बिन लगाना होगा। जिन संस्थानों में पहले से डस्ट–बिन लगा हुआ है, वैसे डस्ट–बिन का अनुरक्षण, देखभाल, क्षतिग्रस्त होने पर प्रतिस्थापन संवेदक को करना होगा।

झ. चिकित्सक हेतु प्रयुक्त होने वाले भौचालय में एण्टी बैक्टेरियल साबुन एवं टीशू पेपर संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना होगा।

ट. भवन के छत–छज्जे पर जल जमाव को दूर करना एवं भवन पर उग आये पौधों को जड़ से सफाई करना।

ठ. ड. पानी टंकी, बाहरी एवं भीतरी छज्जे, सीढ़ी घर एवं सीढ़ी घर के हेडरूम की बृहत सफाई प्रत्येक सप्ताह रविवार एवं अवकाश के दिनों में एकबार करना आव यक होगा।

ढ. अस्पताल प्रबंधन की सहमति से कलर कोडेड डस्ट–बिन को निर्धारित स्थान पर लगाना होगा।

ण. मानक प्रोटोकॉल के अनुरूप अवशिष्टों का संग्रहण कर बायोमेडिकल अपशिष्ट के निर्धारित एजेन्सी को सौपना होगा एवं अन्य अपशिष्ट का निस्तारण प्रोटोकॉल के अनुरूप करना होगा। अपशिष्ट संग्रहण एवं निस्तारण के मानक प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण अस्पताल प्रबंधन द्वारा समय–समय पर सफाई कर्मियों को दिया जायेगा। प्रशिक्षण से संबंधित दस्तावेजों का संधारण संबंधित अस्पताल प्रबंधन को करना होगा।

त. संवेदक के प्रतिदिन किये गये कार्यो का सत्यापन अस्पताल प्रबंधक/प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक के द्वारा ही किया जायेगा जिसे भुगतान से पूर्व उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

ख. <u>कपड़ों की धुलाई</u>

क. प्रत्येक बेड के बेडशीट, तकिया कवर, चादर आदि रोजाना धोना, आयरन करना और स्टार्च संवेदक को करना होगा।

ख. ऑपरेशन थियेटर के कपड़ों की धुलाई प्रत्येक ऑपरेशन के बाद संवेदक को करना होगा।

ग. चिकित्सकों एवं पारा–मेडिकल कर्मियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले ऐपरॉन एवं सिर्फ मेडिकल परिधानों की साफ–सफाई संवेदक को करनी होगी।

घ. कम्बल, पर्दा, तोशक आदि जब भी गंदा हो, की धुलाई संवेदक को करना होगा।

ड. सफाई में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति संवेदक को ही करनी होगी।

च. कपड़ों की सफाई हेतु अस्पताल परिसर में ही वासिंग मशीन स्थापित कर कपड़ों की सफाई की जायेगी, इनके परिचालन हेतु विद्युत (मीटर चार्ज एवं जेनरेटर) की व्यवस्था संवेदक को करना होगा।

छ. धुलाई हेतु कपडों का लेखा–जोखा बार्ड इन्चार्ज/ओ0टी0 इन्चार्ज या अन्य अधिकृत अस्पताल कर्मी के द्वारा निर्धारित प्रारूप में पंजी संधारित कर किया जायेगा।

ज. कपड़ों की सफाई, स्टार्च इत्यादि में गुणवत्तापूर्ण डिटरजेन्ट का प्रयोग कर करना होगा।

झ. सेवा प्रदाता (24X7) घंटे एक स्टाफ को नियुक्त करेंगें ताकि ऑपरेशन थियेटर, इमरजेन्सी वार्ड एवं प्रसव कक्ष से रक्त लगे कपड़ों को प्राप्त कर तुरन्त ही डिटरजेन्ट युक्त पानी में डाला जा सके ताकि रक्त के धब्बों से कपडों की बचाव किया जा सके।

ञ. संवेदक द्वारा धुलाई हेतु प्राप्त किये गये कपडों को 48 घंटे के अन्दर वापस करना होगा।

त. उपरोक्त समान के धुलाई का एकमुस्त मासिक दर देना होगा।

ग. <u>खान–पान</u>

प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र में अन्तःवासी मरीजों को निर्धारित मीनू के आधार पर भोजन उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका इसका अधिकतम दर रू० 100/– बिहार सरकार के संकल्प संख्या 648 दिनांक 07.09. 2015 द्वारा निर्धारित है।

ध. जेनरेटर सेवा (<u>साईलेंट जेनरेटर</u>)

1. सदर अस्पताल के लिए 100 KVA (आउट पुट), अनुमंडलीय अस्पताल के लिए 40/50 KVA (आउट पुट), रेफरल अस्पताल के लिए 30/40 KVA (आउट पुट), सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 20/25 KVA (आउट पुट) एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 10/15 KVA (आउट पुट) साइलेन्ट DG सेट जेनरेटर होना अनिवार्य है। जेनरेटर हेतु तेल/मोबील/ऑपरेटर एवं रख–रखाव संस्था के जिम्मे होगा।
2. बिजली बाधित अथवा वोलटेज कम रहने की स्थिति में 24 घंटे जेनरेटर सुविधा संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में अनवरत उपलब्ध कराना होगा।
3. जेनरेटर परिचालन हेतु मोबिल, ऑपरेटर एवं रख–रखाव तथा ईंधन पर व्यय संवेदक को करना होगा।
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल अस्पताल एवं सदर अस्पताल के लिये जेनरेटर द्वारा आव यकतानुसार बिजली आपूर्ति 24 घंटे उपलब्ध करानी होगी।
5. प्रत्येक पाइंट पर 220 V से 240 V तक की विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए।
6. अस्पतालों के वायरिंग से छेड–छाड या समानान्तर वाइरिंग संवेदक द्वारा नहीं किया जा सकेगा।
7. जेनरेटर से अस्पताल के मेन स्वीच तक वाईरिंग संवेदक को कराना होगा।
8. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रति दिन परिचालन अवधि के गणना की सम्पुश्टि जेनरेटर से करने की व्यवस्था करेंगें।
9. जेनरेटर का कनेक्सन अस्पताल भवन, Cold Chain Room, चिकित्सक कर्त्तव्य कक्ष, अस्पताल परिसर के Power Light, Street Light, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के आवासीय कार्यालय (यदि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का अस्पताल परिसर अंदर हो) में दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी कर्मचारी/पदाधिकारी को जेनरेटर कनेक्सन नहीं दिया जायेगा। जेनरेटर का कनेक्सन किसी भी परिस्थिति में अस्पताल के बाहर गैर सरकारी उद्धेश्य से नहीं किया जायेगा। यदि विशेष परिस्थिति में कहीं अन्य जेनरेटर कनेक्सन की आव कता है तो अस्थाई तौर पर उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से लिखित आदेश के उपरान्त दिया जायेगा। अस्पताल परिसर (बाहर की जगह समेत) अच्छी तरह से Lighted होना अनिवार्य रहेगा।

10. अस्पताल परिसर में PPP व्यवस्था के अन्तर्गत दिये जा रहे अन्य सेवायें जैसे एक्स–रे, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, पोशण पुर्नवास केन्द्र इत्यादि में जेनरेटर द्वारा किसी भी परिस्थिति में विद्युत आपूर्ति नहीं की जायेगी।
11. आपूर्ति किये जा रहे विद्युत की इकाई को मापने हेतु संबंधित संवेदकों द्वारा उनके व्यय पर विभिन्न रणनितिक बिन्दूओं पर बोल्टमीटर स्थापित किया जायेगा, ताकि अस्पताल प्रबंधन द्वारा/पर्यवेक्षक के द्वारा यह सत्यापित किया जा सकें कि प्रत्येक प्वाईंट पर 220V - 240V तक विद्युत आपूर्ति हो रहा या नहीं।
12. संवेदक द्वारा प्रत्येक पाली हेतु अलग–अलग एक अर्थात कुल तीन ऑपरेटरों को नियुक्त करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑपरेटर जेनरेटर के पास ही रहे।
13. लॉग–बुक कर्त्तव्य पर उपस्थित उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य प्रबंधक/अस्पताल प्रबंधक अथवा उनके अधिकृत चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसका प्रतिहस्ताक्षर उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
14. विद्युत विच्छेदन की दशा में यह आवश्यक होगा कि वैकल्पिक रूप से जेनरेटर के द्वारा विद्युत आपूर्ति 24 घंटे सुनिश्चित किया जाय। यदि जेनरेटर द्वारा विद्युत आपूर्ति मे किसी प्रकार की त्रुटी आती है तो त्रुटी अवधि हेतु देय दर में दंड स्वरूप उस अवधि हेतु भुगतेय राशि का 1.5 गुणा कटौती की जायेगी।
15. जेनरेटर द्वारा त्रुटीपूर्ण तरीके से की गई विद्युत आपूर्ति की वजह से यदि कोई उपकरण खराब होता है तो उक्त उपकरण के समतुल्य राशि की वसूली की जायेगी।

ड़. <u>अस्पातल का रख–रखाव तथा बाहरी परिसर की सफाई</u>

क्र.सं.	स्वास्थ्य इकाई का प्रकार	स्थान	प्रति पाली श्रमिकों की संख्या	पाली की संख्या (16 घंटे के लिए)	प्रतिदिन कुल श्रमिकों की संख्या
1	सदर अस्पताल समस्तीपुर	बाहरी परिसर	4	2	8
2	प्रति अनुमंडलीय अस्पताल	बाहरी परिसर	2	2	4
3	प्रति रेफरल अस्पताल	बाहरी परिसर	2	2	4
4	प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	बाहरी परिसर	2	2	4
5	प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	बाहरी परिसर	2	2	4
6	प्रति अतिरिक्त प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र	बाहरी परिसर	1	2	2
7	प्रति स्वास्थ्य उपकेन्द्र	बाहरी परिसर	1	2	2
कुल श्रमिकों की संख्या			14		28

<u>इसके अन्तर्गत निम्नलिखि कार्य करने होंगें:–</u>

क. अस्पातल के परिसर की पूरी सफाई करना।

ख. आवश्यकतानुसार अस्पातल के परिसर के फूल पौधों की देख–भाल करना तथा आवश्यकतानुसार सिंचाई करना।

ग. संवदेक द्वारा समय–समय पर नये–नये फूल–पौधे इत्यादि लगाकर एक सुन्दर बगीचा तथा हर्बल बगीचा विकसित किया जायेगा तथा पौधों एवं खाद की आपूर्ति संवेदक द्वारा की जायेगी।

घ) अस्पताल के बाहरी परिसर में लगे पौधो को समय–समय पर रंग–रोगन संवेदक को करना होगा।

ड.) ऐसे संस्थान जहाँ अस्पताल का बाहरी दीवार से घेरा नहीं एवं लगाये गये पौधों को पशुओं द्वारा चर जाने की आशंका है, वहाँ वैसे संवेदक जिन्हें बाहरी परिसर की साफ–सफाई का कार्य आवंटित हुआ है, उनके द्वारा अस्पताल के आंतरिक परिसर में इन्डोर पौधे स्थापित करने होगें एवं उनकी देखभाल करनी होगी।

च) अस्पातल के नालों एवं शिवरों आदि की सफाई आवश्यकतानुसार नियमित रूप से करना होगा।

छ) भवन से सटे परिसरों की सफाई एवं गन्दे सामानों को निर्धारित स्थानों पर फेकना तथा चुना गेमेक्सीन, ब्लीचिंग पाउडर का नियमित छिडकाव करना है।

ज) अस्पताल के बाहरी परिसर में दो अलग–अलग रंग के डस्टबिन जिसका आकार 4 फीट से कम न हो, की स्थापना संवेदक को करनी होगी।

झ) अस्पताल के बाहरी परिसर में अस्पताल कर्मियों, मरीजों एवं उनके परिजनों को स्वच्छता इत्यादि से संबंधित प्रेरित करने तथा अस्पताल परिसर में लगाये गये पौधों को नश्ट नहीं करने हेतु प्रेरक नारों का स्वास्थ्य संस्थानों में प्रदर्शन जगह–जगह पर (जैसे– धुम्रपान निशेध, स्वच्छ आदतें, वृक्ष एवं पौधों का महत्व तथा नागरिक कर्त्तव्य) प्रदर्शन बोर्ड लगाना होगा।

ञ) अस्पताल के बाहरी परिसर में वेतरतीब लगाये गये दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों को निर्धारित स्थान पर व्यवस्थित तरीके से संवेदक द्वारा लगवाया जायेगा।

ट) बाहरी परिसर की साफ–सफाई दिन में तीन बार 8 AM, 2 PM एवं 6 PM को करनी होगी।

ठ) यह अक्सर पाया जाता है कि पीट के आस–पास अवशिष्टो का विखराव रहता है। अतः यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्टों का निस्तारण समय–समय पर जला कर किया जाय।

ड) पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों द्वारा यदि सेवाओं में त्रुटी पाई जाती है तो संवेदक को देय राशि में उक्त तिथि हेतु दंड स्वरूप 1.5 गुणा सम्तुल्य दैनिकदर के आधार पर कटौती की जायेगी।

<u>अन्य नियम एवं शर्त्तें</u> :

1. उपरोक्त सभी कार्यों हेतु मशीन/सामग्रियों की आपूर्ति संवेदक को करनी होगी।
2. सभी कर्मियों को निर्धारित पोशाक तथा पहचान पत्र संवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। संवेदक द्वारा नियुक्त सभी सफाई कर्मियों एवं संचालकों का अस्पताल कर्मियों, मरीजों एवं उनके परिजनों के प्रति व्यवहार मृदु एवं सहयोगात्मक होना चाहिए। यदि कर्मियों का व्यवहार अस्पताल प्रशासन द्वारा अच्छा नहीं पाया जाता है एवं इस आशय की सूचना संवेदक को दी जाती है तो ऐसे कर्मियों को तत्काल सेवा से मुक्त करते हुऐ नये कर्मी की नियुक्ति संवेदक द्वारा की जायेगी एवं नियमानुकूल विधिसम्मत कार्यवाई की जायेगी।
3. उपलब्ध कराई गई सभी सेवाओं का प्रतिदिन के आधार पर प्रपत्रीकरण (Documentation) (यथा जेनरेटर का लॉगबुक, खाना उपलब्ध कराये गये मरीजों की संख्या, साफ–सफाई, कपडों की धुलाई) इत्यादि पंजी में संधारित की जायेगी। जेनरेटर का लॉगबुक जेनरेटर ऑपरेटर द्वारा भरा जायेगा तथा लॉग–बुक कर्त्तव्य पर उपस्थित उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य प्रबंधक/अस्पताल प्रबंधक अथवा उनके अधिकृत चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रतिदिन हस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसका प्रतिहस्ताक्षर उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
4. आउटसोर्सिंग के तहत् इन सभी कार्यो का पर्यवेक्षण अस्पताल के स्तर पर ब्लॉक कम्यूनीटी मोबलाइजर लेखापाल/अस्पताल प्रबंधक या प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक/चिकित्सा पदाधिकारियों/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों/उपाधीक्षक द्वारा की जायेगी तथा जिला स्तर से इन सेवाओं का अनुश्रवण जिला एम0 एण्ड ई0 पदाधिकारी/जिला लेखा प्रबंधक/जिला कार्यक्रम प्रबंधक/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/कार्यक्रम पदाधिकारी/सिविल सर्जन/वरीय उपसमाहर्त्ता सह प्रभारी स्वास्थ्य विभाग/अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
5. संवेदक के द्वारा यदि अस्पताल के किसी चल या अचल सम्पत्ति को नश्ट किया जाता है या क्षति पहुँचाई जाती है तो नष्ट या क्षति किये गये सम्पत्ति की वसूली संवेदक से की जायेगी।
6. कार्यो की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर सात दिनों का स्पश्टीकरण पूछ कर कार्य से हटाने का अधिकार जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर को सुरक्षित रहेगा। कार्य त्रुटीपूर्ण होने की दशा में संवेदक द्वारा जमा परफोरमेन्स सिक्यूरीटी की राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. कार्यों में त्रुटी की दशा में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर के विचारोपरान्त संवेदक को कार्य मुक्त किया जा सकेगा।
8. संवेदक अगर उपरोक्त कार्यो को छोडना चाहती है, तो उन्हें तीन माह पूर्व नोटिस संबधित रोगी कल्याण समिति, जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर तथा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर को देना होगा।

9. संवदेक को अनुबंध में वर्णित सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिये यदि किसी कानूनी औपचारिकता की आव यकता है, तो संवेदक को संगत कानून के अधीन सभी कानूनी औपचारिकता पूर्ण कर लेनी होगी तथा यह संवेदक की जिम्मेवारी होगी की किस परिस्थिति में किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं हो।
10. किसी विवाद की परिस्थिति में दोनों पक्षों द्वारा विवाद का आपस में विचार विमर्श कर निश्पादन किया जायेगा। यदि आपसी विचार विमर्श के द्वारा विवाद का निश्पादन नहीं होता है, तो विवाद का समस्तीपुर न्यायालयीय क्षेत्र में निपटारा किया जायेगा।
11. अनुबंध अवधि का विस्तारीकरण : कार्य संतोषजनक होने की दशा में दोनो पक्षों के पारस्परिक सहमति के उपरान्त विद्यमान भार्त्तों एवं दरों पर या भार्त्तों एवं दरों में आवश्यकतानुसार संशोधन कर अनुबंध अवधि का विस्तारीकरण अगामी 3 वर्षों हेतु पुनः कर सकेंगें। दरों का संशोधन किसी भी परिस्थिति में निविदादाता द्वारा समर्पित न्यूनतम दर के अधीन होगा।
12. अनुबंध की समाप्ति :

<u>अस्पताल द्वारा</u>:

क) अनुबंध अवधि की समाप्ति पर।

ख) अनुबंध में वर्णित भार्तों एवं कार्यों के अनुपालन में यदि संवेदक असफल रहता है।

ग) जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर के निर्णय पर 30 दिनों की अग्रिम लिखित सूचना उपरान्त।

<u>संवेदक द्वारा</u>:

क) अनुबंध अवधि की समाप्ति पर।

ख) 90 दिनों की अग्रिम लिखित सूचना पर।

13. संवेदक द्वारा नियुक्त कर्मियों को कार्य निष्पादन के दौरान किसी प्रकार क्षति जैसे बिमारी, घायल होना, मृत होता है तो इसकी पुरी जिम्मेवारी संवेदक की होगी तथा इसं संबंध में विभाग द्वारा कोई भी क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।
14. कार्यरत सभी कर्मियों के पारिश्रमकी का भुगतान श्रम विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप करना होगा।
15. संवदेक द्वारा आपूरित मशीन एवं सामग्रियों के समुचित रख–रखाव की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। मशीन एवं सामग्रियों की चोरी या अन्य प्रकार से क्षति की पूर्ति किसी भी परिस्थिति में विभाग द्वारा नहीं दी जायेगी।
16. संवेदक का जिलान्तर्गत एक स्थानीय पता होना चाहिऐ जिस पर सभी प्रकार के नोटिसों को तामिला त्वरित रूप से कराया जा सके।
17. संवेदक को उच्च शिक्षित प्रबंधक नियुक्त करना होगा। इनके द्वारा कार्यों का प्रबंधन एवं कार्यालयों से समन्वय तथा सेवाओं के संबंध में MIS प्रतिवेदित किया जायेगा।
18. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में डालकर एक बड़े लिफाफे में स्पष्ट अंकित एवं सीलबंद ही स्वीकार किये जायेगे। लिफाफे के उपर तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिखा होना चाहिए।
19. तकनीकी निविदा में संलग्न सभी दस्तावेज स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए तथा निविदा खोलने के समय सभी कागजातों की मूल प्रति के साथ मिलान किया जायेगा।
20. सफल निविदा दाता को कार्यादेश निर्गत होने के 7 दिनों के अन्दर कार्य प्रारम्भ करना होगा।
21. जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर बिना कारण बताये किसी भी निविदा को पूर्णतः या अंशतः निरस्त कर सकती है।
22. सफल निविदादाता से 1/3 वर्षों हेतु करार किया जायेगा। यदि करार अवधि में उपरोक्त कार्यों हेतु सरकार से आवंटन प्राप्त नहीं होता है, तो भी सफल निविदाााता को कार्य करना होगा कार्य बन्द करने की स्थिति में उनका कार्यादेश निरस्त कर नये संस्था को कार्य का आवंटन किया जा सकता है।
23. यदि सरकार द्वारा दिशा निर्देश में कोई परिवर्तन लाया जाता है, तो जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर को अधिकार होगा कि वह अनुबंध की शर्त्तों में परिवर्तन कर सकें या निरस्त कर सके।

24. प्राप्त निविदाओं को दिनांक 02 मई, 2016 को पूर्वाह्न 11:00 बजे जिला क्रय समिति द्वारा खोला जाएगा, जिसमें निविदाता स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। सफल निविदादाता को कार्यादेश निर्गत की तिथि से सात दिनों के अन्दर कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक होगा अन्यथा कार्यादेश रद्द कर दिया जायगा।
25. समिति के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा की कौन से स्वास्थ्य इकाई में कार्य आवंटन किया जायगा एवं किस स्वास्थ्य इकाई मे नही किया जायगा।
26. किसी भी प्रकार के कर का दायित्व सफल निविदादाता को निर्वाहण करना होगा। तथा सफल निविदादाता उप संवेदक कार्य करने हेतु नियुक्त नही कर पायेगें, उन्हें स्वयं कार्य करना होगा।
27. सफल निविदादाता को वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था के तहत एक अतिरिक्त साइलेन्ट जेनरेटर का संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में व्यवस्था रखना होगा।
28. बिहार Labour Wage Act के अनुसार कम रेट डालने पर उक्त निविदा पर विचार नही किया जायगा।
29. निविदादाता को तकनीकी निविदा इस अल्पकालीन निविदा के साथ संलग्न प्रपत्र में भरकर देना आवश्यक है। वित्तीय निविदा भी संबंधित प्रपत्र में ही भरा जाना आवश्यक है।
30. समिति को निविदा में संशोधन या बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
31. निविदा के संबंध में विस्तृत विवरणी जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अवधि के दौरान प्राप्त किया जा सकता है। निविदा सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति,सदर अस्पताल परिसर, समस्तीपुर 848101 के पते पर 30 अप्रैल, 2016 के सायं 05 बजे तक कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जायगा। निविदा भारतीय डाक विभाग के निबंधित/स्पीड डाक द्वारा ही स्वीकार की जायेगी।

ह0/–	ह0/–
सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर	जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर

जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर

<u>अल्पकालीन निविदा</u>

समस्तीपुर जिलान्तर्गत सदर अस्पताल, रेफरल अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रों एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत अस्पताल के आंतरिक परिसर की साफ–सफाई, रखरखाव, अस्पताल के बाहरी परिसर की साफ–सफाई एवं रखरखाव तथा बागवानी, कपड़ों की धुलाई, अन्तःवासी मरीजों हेतु भोजन की आपूर्ति एवं साईलेंट जेनरेटर द्वारा वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित कम्पनियों / फर्मो / गैर सरकारी संस्थानों / संवेदकों / व्यक्तियों से दो लिफाफा प्रणाली के अन्तर्गत स्पष्ट अंकित तथा मुहरबंद निविदाऐं आमंत्रित की जाती है।

निविदा के संबंध में विस्तृत विवरणी जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर कार्यालय में नीचे उल्लेखित कार्य कार्य दिवस में 500 / – रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर के नाम से बनाकर कार्यालय अवधि के दौरान प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही निविदा की विस्तृत विवरणी एन.आई.सी, समस्तीपुर के वेब साईट **www.samastipur.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है। निविदा सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, सदर अस्पताल परिसर, समस्तीपुर 848101 के पते पर दिनांक 30 अप्रैल, 2016 के 5 बजे अपराह्न तक निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट (कुरियर मान्य नही है) द्वारा प्राप्त किया जाएगा। समय सीमा समाप्ति के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जायगा।

सभी निविदाओं के तकनीकि निविदा को 02 मई, 2016 को पूर्वाह्न 11:00 बजे जिलाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में गठित क्रय समिति के समक्ष खोला जायगा। निविदा खोलते समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। उनके अनुपस्थित रहने पर भी उनकी अनुपस्थिति में निविदा खोल दी जायगी।

ह0 / –	ह0 / –
सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव **जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर**	**जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष** **जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर**